(3)

न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–19 / 2019 विविध

बृजलाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी टोपरीयां तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।

––प्रार्थी

बनाम

स्टेट जरिये उपखण्ड अधिकारी, नोहर।

––अप्रार्थी

अदालत एस.डी.ओ. राजस्व, नोहर की पत्रावली बृजलाल बनाम राजस्थान राज्य वाद पत्र मुकदमा संख्या 140 / 2019 व प्रार्थना पत्र संख्या 47 / 2019 की सुनवाई अन्यत्र न्यायालय में करवाने बाबत।

उपस्थितिः–1. श्री बृजलाल प्रार्थी स्वयं
2. श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

आदेश दिनांकः–04.07.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय ए.सी. एवं एस.डी. ओ. राजस्व नोहर के समक्ष अपनी रोही मौजा टोपरीया बारानी की कृषि भूमि के पत्थर नम्बर 253 / 403 तथा पत्थर नम्बर 253 / 404 की कुल 0.0890 हैक्टेयर गैर मुमकिन कृषि भूमि का खातेदार घोषित करने व मोके की यथास्थिति बनाने रखने के सम्बन्ध में वाद पत्र संख्या 140 / 19 राजस्थान राज्य व अन्य के विरूद्ध पेश किया जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बृजलाल बनाम राजस्थान राज्य नम्बर मुकदमा 47 / 19 पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा दिनांक 01.04.2019 को उपखण्डाधिकारी नोहर को रिपोर्ट पेश की जिसमें प्रार्थी की कृषि भूमि में पिछले 40–42 वर्ष से कोई रास्ता चालु नहीं होना तथा मोके पर चना की फसल कास्त होने का कथन किया था। प्रार्थी द्वारा न्यायालय के

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

...क्ष बार–बार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में स्टे बाबत सुनवाई करने का निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.04.2019 को तारीख पर उपस्थित आने के दिन प्रार्थी के विपक्षी पार्टी सुन्दर देवी के पति रणजीत व कलावती के मुख्त्यारआम राजेश उपखण्डाधिकारी के चैम्बर से निकले और प्रार्थी को धमकी दी की अब हमारी सरकार आ गई है। और नोहर उपखण्डाधिकारी (एस.डी.एम.) जैसा हम कहेगें वैसा ही करेगा। अब हम जबरदस्ती 10 दिन के भीतर-भीतर रास्ता निकालकर दिखायेगे। दिनांक 09.05.2019 नोहर राजस्व न्यायालय के उपखण्डाधिकारी ` तहसीलदार व पटवारी पर दबाव बनाकर राजनेताओं के अनुचित प्रभाव में आकर प्रार्थी के खेत में से जबरदस्ती काश्तकार की फसल को नष्ट करके रास्ता निकाल दिया प्रार्थी की फसल नष्ट करने व रास्ता निकालने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी। दुसरे दिन दिनांक 10.05.2019 को प्रार्थी नोहर राजस्व न्यायालय में उपस्थित हुआ और वाद पत्र की सुनवाई के दौरान रास्ता निकालने के सम्बन्ध में धारा 151 सी.आर.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद के दिन की स्थिति पुनः बहाल करने का निवेदन किया जिस पर उपखण्डाधिकारी नोहर ने प्रार्थी की बात सुनने से स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि आप स्टे की बात करते हो मैं तो तुम्हारा दावा ही खारिज करूंगा। नोहर उपखण्डाधिकारी द्वारा विपक्षी पार्टी कलावती व सुन्दर देवी के राजनीति प्रभाव व दबाव में कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी के विपक्षी पार्टी के सदस्य नोहर विधायक के परिचित व खास व्यक्ति है। तथा स्वयं उपखण्डाधिकारी द्वारा प्रार्थी का दावा खारिज करने का ...खिक कथन किया है इसलिए प्रार्थी को नोहर राजस्व न्यायालय (एस.डी.एम.) से अपने उक्त वाद पत्र में न्याय की कतेई आशा व उम्मीद नहीं है। इसलिए प्रार्थी अपने उक्त वाद पत्र की सुनवाई नोहर उपखण्डाधिकारी से नहीं करवाना चाहता है। प्रार्थी का उक्त वाद पत्र हनुमानगढ़ जिले के किसी भी अन्य उपखण्डाधिकारी के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे ताकि प्रार्थी पीड़ित काश्तकार को सही व सुलभ न्याय मिल सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्डाधिकारी नोहर से टिप्पणी तलब की गई।

प्रार्थी स्वयं तथा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि कृषि भूमि में पिछले 40–42 वर्ष से रास्ता नही चला रहा है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं की गई। विपक्षी पार्टी उपखण्ड अधिकारी नोहर के चैम्बर से निकले और धमकी दी की अब हमारी सरकार आ गई है उपखण्डाधिकारी को हम कहेगें वैसा ही करेगा। उपखण्डाधिकारी नोहर ने तहसीलदार व पटवारी पर दबाव बनाकर राजनेताओं के अनुचित प्रभाव में आकर प्रार्थी के खेत में से जबरदस्ती रास्ता निकाल दिया प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी नोहर न्यायालय में उपस्थित होकर वाद पत्र की सुनवाई के दौरान रास्ता निकालने के सम्बन्ध में धारा 151 सी.आर. पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया। उपखण्डाधिकारी नोहर ने प्रार्थी की बात सुनने से स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि आप स्टे की बात करते हो मैं तो तुम्हारा दावा ही खारिज करूंगा। विपक्षी पार्टी नोहर विधायक के परिचित व खास व्यक्ति है। उपखण्डाधिकारी द्वारा विपक्षी पार्टी के राजनिति दबाव में आकर कार्यवाही की जा रही है। उपखण्डाधिकारी द्वारा प्रार्थी का दावा खारिज करने का मौखिक कथन किया है इसलिए उपखण्ड अधिकारी नोहर न्यायालय से न्याय की कतेई आशा व उम्मीद नहीं है।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

लिए प्रार्थी अपने उक्त वाद पत्र की सुनवाई नोहर उपखण्डाधिकारी से नहीं करवाना चाहता है। प्रार्थी के वाद को अन्यत्र न्यायालय में अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय प्रश्नगत वाद प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 सीपीसी व 151 सीपीसी के जबाव हेतु विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप केवल काल्पनिक आधार पर लगाये गये है जो मिथ्या व निराधार है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत में देरी करने के उद्वेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

पक्षकारो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के संबंध में है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में अन्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये है उनके संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किये गये है और ना ही बहस के दौरान कोई ठोस कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी नोहर की टिप्पणी का अवलोकन करने से प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 सी पी सी का जबाव प्रार्थी की ओर से दिये जाने हेतु विचाराधीन होना पाया गया है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र का जबाव पेश नही करना इससे यह जाहिर होता होता है कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में देरी करना चाहता है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में न्यायहित में स्थानान्तरण किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नोहर को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रकिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी नोहर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनाक 04.07.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner